दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों सें संबंधित सामान्य जानकारी) सोमवार, 08 दिसम्बर, 2003 / अग्रहायण 17, 1925 (शक)

संख्याः 01

सदस्यों का निर्वाचन प्रमाण-पत्र

चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम-66 के अंतर्गत निर्धारित शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने के संबंध में सभी सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्वाचन प्रमाण पत्रों की मूल प्रति विधान सभा सचिवालय में प्रस्तुत करें । इसके अतिरिक्त, सदस्यों द्वारा कुछ प्रपत्र इत्यादि भी भरे जाने हैं ।

उपर्युक्त औपचारिकताओं को पूरा कने के लिए विधान सभा सचिवाल द्वारा समिति कक्ष संख्या-1 (कमरा संख्या-38), पुराना सचिवालय, दिल्ली में दिनांक 11/12/2003 से 12/12/2003 तक 11.00 बजे पूर्वाहन से 4.00 बजे अपराहन के बीच व्यवस्था की गई है ।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज लायें : -

- (i) निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किया गया निर्वाचन प्रमाण-पत्र (मूल पत्र)
- (ii) पासपोर्ट साइज के चार फोटो (सदस्य का पहचान पत्र बनाने एवं "हू-इज़-हू" के प्रयोजन से)।
- (iii) संलग्न प्रपत्र में सदस्य का जीवन-परिचय ।

सदस्यों के पहचान पत्र बनाये जायेगें

सदस्यों से अनुरोध है कि वे किसी भी कार्य दिवस को पूर्वाहन 11.00 बजे से अपराहन 4.00 बजे के बीच विधान सभा सचिवालय में अपने पहचान पत्र बनवाने का कष्ट करें ।

विधान सभा सदस्यों के लिए कार पार्किग लेबल

पुराना सिचवालय परिसर में सदस्यों की कार के प्रवेश हेतु प्रत्येक सदस्य को अपेक्षित फॉर्म भरकर देने पर सिचवालय द्वारा एक कार पार्किंग लेबल उपलब्ध कराया जाता है । अभी तक निर्धारित नीति के अनुसार प्रत्येक सदस्य मुख्य द्वार से प्रवेश हेतु केवल एक कार पार्किंग लेबल ही प्राप्त करने के हकदार हैं । यदि किसी कारणवश दूसरे अथवा नए कार पार्किंग लेबल की आवश्यकता हो, तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा कारणों से पुराना पार्किंग लेबल, चाहे वह कटा-फटा भी हो तो भी वापस करना आवश्यक है ।

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Monday, 08th December, 2003/Agrahayana 17, 1925 (Saka)

No.: 01

ELECTION CERTIFICATE OF MEMBERS

In connection with the making and subscribing the prescribed oath of affirmation, members are requested kindly to bring to the Assembly Secretariat their original certificate of election issued to them by the Returning Officers under Rule 66 of the Conduct of Election Rules, 1961. In addition, certain forms etc. are also required to be filled in by the members.

For completion of the aforesaid formalities, arrangements have been made by the Assembly Secretariat in Committee Room No. I(Room No. 38), Old Secretariat, Delhi From 11.12.2003 to 12.12.2003 between 11 AM to 4 PM.

Members may kindly bring with them the following documents:-

i) Certificate of Election (in original) issued by the Returning Officer.

4 Passport size colour photographs (for purposes of Member's identity card and who's who')

iii) The Bio-data of the Member in the proforma enclosed.

IDENITY CARDS OF MEMBERS

Hon'ble Members are requested to get their Identity cards prepared and collected from the Secretariat of Delhi Vidhan Sabha from 11.00 A.M. to 4.00 P.M. on any working day.

M.L.A. CAR LABELS

For facilitating entry of cars owned by the Members into Old Secretariat, one car label is issued to each Member by the Secretariat on filling up requisite form. As per policy so far laid down, every member is entitled to one car-parking label for entry into the Old Secretariat complex from the Main Gate. In case, a duplicate or a new car-parking label is required, for security reasons the old label MUST be returned, even in mutilated.

SIDDHARTH RAO SECRETARY